

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

श्रीमत् रमेश वर्मा

बनाम

श्रीमती दुर्गा देवी

किस्म मुकद्दमा

120 R.L. Act

चं.

6/21

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/3/21	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>जिथली</u>.....</p> <p>ग्राम.....<u>जिथली ब.स.र.स.</u>.....की आ.न. <u>12, 13, 14, कुल क्षेत्र 2.2500 ई०</u> की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये <u>1000/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p style="text-align: right;"><u>जज</u> उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी बडीसादडी जिले चित्तौड़गढ़</p>	

